आदेशपत्रक
न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डलःप्रयागराज, जनपद :फतेहपुर, तहसील : फतेहपुर
वादसंख्या : 02135 / 2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या : T202015060135955
सरला देवी श्रीराम बुद्धिष्ठ शिक्षा समिति बनाम सरकार
अन्तर्गत धाराः–80, अधिनियमः–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006

निर्णयादेश

प्रस्तुत वाद वादी पवन कुमार निवासी ग्राम रामपुर व पोस्ट थरियॉव, जिला फतेहपुर प्रबन्धक सरला देवी श्रीराम बुद्धिष्ठ शिक्षा समिति, ग्राम व पोस्ट रामपुर थरियॉव, जिला फतेहपुर के गाटा सं0 –2640, 2442, 2585, 2636, 2638, 2634 के कुल 06 गोटों कुल रकबा 0.876 हैक्टेअर को गैर अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है कि अराजी निजाई पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है।
तहसीलदार फतेहपुर जिला फतेहपुर से स्थलीय जांच आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार फतेहपुर की आख्या दिनांक 10.02.2022 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम रामपुर थरियॉव, परगना हंसवा, जिला फतेहपुर गाटासं0–2636, 2638, 2634, 2442, 2640 कुल छः गाटों का कुल रकबा 0.876 हैक्टेअर, सरला देवी श्रीराम बुद्धिष्ठ शिक्षा समिति ग्राम व पोस्ट रामपुर थरियॉव, जिला फतेहपुर, के नाम स्थित है। जो चक0आकार पत्र 23 भाग 1 में संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिस पर विद्यालय बना है और भूमि के चारों तरफ चहरदीवारी है।
तहसीलदार फतेहपुर जिला फतेहपुर की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त मैंनें पत्रावली की सम्यक अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में, मौजा ग्राम रामपुर थरियॉव, जिला फतेहपुर के पत्र 23 भाग 1 प्रस्तुत किया गया है, तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 में अकृषिक घोषित करने के लिए धारा 80(1) के अन्तर्गत उद्घोषणा शुल्क नायब तहसीलदार फतेहपुर की आख्या के उपरान्त मु0 46850.00 (रू0 छियालीस हजार आठ सौ पचास) चालान सं0 ए0 444 दिनांक 25.03.2022 को जमा किया जा चुका है। जो संलग्न पत्रावली है। ऐसी दशा में आराजी निजायी को अकृषिक एवं भूराजस्व रहित भूमि घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौजा रामपुर थरियॉव, तहसील फतेहपुर के गाटा सं0 –2640, 2442, 2585, 2636, 2638, 2634 के कुल छ' गोटों कुल रकबा 0.876 हैक्टेअर भूमि को अकृषिक एवं भूराजस्व रहित भूमि घोषित किया जाता है। तद अनुसार परवाना अमल दरामद जारी वाद अमद दरामद पत्रावली समर्पित अभिलेख की जाय।

दिनांक 28.03.2022 पृष्ठ संख्या :

उपजिलाधिकारी
फतेहपुर

यह आदेश आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षर एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।
दिनांक 28.03.2022

उपजिलाधिकारी
फतेहपुर

पवन कुमार
प्रबंधक
सरला देवी श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी
थरियाव-फतेहपुर